

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 325 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त 04, 2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जैण्टा कोटी ग्वालखेत पैखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में। Proposal No. - FP/UK/ROAD/22108/2016

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 258/12-1 दिनांक 18.07.2020
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं0 903/10 एफ0ए0 दिनांक 07.07.2020 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार उनके कार्यालय को प्रेषित की गई है।

क्र.सं	प्रस्ताव में आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	Employment generation detail has been wrongly filled. as section E in form A part I. User agency may review permanent Employment generation details.	Employment generation detail संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	In recommendation of CF 'Whether CF agreed' has been filled 'no' at section 16 in form A part II. CF may clarify.	दिनांक 20.07.2017 को प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/22108/2016 को वन संरक्षक द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु जनहित में अपनी संस्तुति दी गई है किन्तु पार्ट III को ऑनलाईन अपलोड करते समय त्रुटिवश उक्त कॉलम में Yes के स्थान पर No फीड हो गया है। आपत्ति निराकरण हेतु वेब पोर्टल पर कोई एडिट का विकल्प नहीं दिया गया है जिससे आपत्ति का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु एन0आई0सी0 नई दिल्ली को अपने स्तर से पत्राचार करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 258 /12-1

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 18 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जैण्टा कोटी ग्वालखेत
पैखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई0डी0एस0 दिनांक 25.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं0 903/10 एफ0ए0 दिनांक 07.07.2020 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

1	Employment generation detail has been wrongly filled, as section E in form A Part I. User agency may review permanent Employment generation details.	Employment generation detail संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	In recommendation of CF 'Whether CF agreed' has been filled 'no' at section 16 in form A Part II. CF may clarify.	आपत्ति का निराकरण वन संरक्षण गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी स्तर से किया जाना है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही की कृपा करे।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

दिनांक 07/07/2020

पत्रांक
सेवा में,

903 / 10/10/17

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र
कर्णप्रयाग में बगोली-जैटा-कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का
बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- EDS दिनांक 25.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में नोडल ऑफिस देहरादून द्वारा
लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1	Employment generation detail has been wrongly filled at section E in form A, Part 1 st User agency may review permanent employment generation detail.	Employment generation detail संशोधित कर ऑनलाईन कर दिया गया है।
2	In Recommendation of CF "weather CF agreed" has been filled "No" at section 16 in form A Part II CF may clarify.	आपत्ति का निराकरण CF स्तर पर होना है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

पंजी. सं. 222
फाइल सं. 12-1
दिनांक 10/07/2020
प्रमाण - बद्रीनाथ वन प्रभाग

प्राप्तिका

मा. प्र. प्र. प्र.
D.Fo

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग